

**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

**सा.का.नि. 758(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,—

- (i) पृष्ठ 9 की पंक्ति 31 में “30” के स्थान पर “30 या कोई अध्याय” पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 33 की पंक्ति 35 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iii) पृष्ठ 33 की पंक्ति 37 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iv) पृष्ठ 33 की पंक्ति 39 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (v) पृष्ठ 51 की पंक्ति 34 में “चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य” के स्थान पर “चश्में [संशोधक से भिन्न]” पढ़ें ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 30th June, 2017

**G.S.R. 758(E).**—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017,—

- (i) at page 75, in line 20, *for* “30” *read* “30 or any Chapter”;
- (ii) at page 99, in line 33, omit the words “other than those”;
- (iii) at page 117, in line 5, omit the words “goggles and the like, corrective, protective or other”.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

**शुद्धिपत्र**

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

**सा.का.नि. 759(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 710(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,—

- (i) पृष्ठ 10 की पंक्ति 9 में “30” के स्थान पर “30 या कोई अध्याय” पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 36 की पंक्ति 22 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iii) पृष्ठ 36 की पंक्ति 24 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (iv) पृष्ठ 36 की पंक्ति 26 में “उनसे भिन्न” शब्दों का लोप करें ;
- (v) पृष्ठ 56 की पंक्ति 20 में “चश्में, धूप के चश्में और वैसी ही वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य” के स्थान पर “चश्में [संशोधक से भिन्न]” पढ़ें ।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव